चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/7429
दिनांक : 20.12.2022

कार्यालय आदेश

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षायें एवं परीक्षा परिणाम सम्बन्धित व्यवस्था समयबद्ध, सुचारू, सुगम एवं अधिक पारदर्शी बनाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश तय करने तथा वर्तमान नियमों में कोई संशोधन यदि वांछित हो, के विषय में संस्तुति प्रदान करने हेतु पत्र संख्या प0नि0/718, दिनांक 02.11.2022 के अनुरूप गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22.11.2022 के मद संख्या–2 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियम/निर्णय संलग्न हैं।

कृपया नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

20/12/2022
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान/विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।

20/12
सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)

ExCom 22/11/22

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

मंगलवार दिनांक 22.11.2022 को सायं 3:00 बजे कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए वीडियों कॉलिग (Zoom App) के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की आयोजित परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवृत्त।

उपस्थितः–

01. प्रो0 संगीता शुक्ला, कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। **(अध्यक्ष)**
02. प्रो0 मृदुल कुमार गुप्ता, संकायाध्यक्ष–विज्ञान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. प्रो0 नवीन चन्द्र लोहनी, संकायाध्यक्ष–कला, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. प्रो0 एस0एस0 गौरव, संकायाध्यक्ष–कृषि, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. प्रो0 मुकेश कुमार जैन, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रबन्धन, एम0एम0एच0 कॉलेज, गाजियाबाद।
06. प्रो0 हरे कृष्ण, संकायाध्यक्ष–इन्जीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
07. डॉ0 अंजली मित्तल, संकायाध्यक्ष–विधि, मेरठ कॉलेज मेरठ।
08. डॉ0 राजीव पाण्डेय, प्राचार्य, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, खरखौदा।
09. डॉ0 दिव्या नाथ, प्राचार्या, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
10. डॉ विरेन्द्र सिंह, प्राचार्य, डी0जे0 कॉलेज, बडौत।
11. डॉ0 पंकज शर्मा, अध्यक्ष, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (मूटा), मेरठ।
12. श्री धीरेन्द्र कुमार, कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।**(सचिव)**

विशेष आमन्त्रित सदस्य :–

1. सहायक कुलसचिव (गोपनीय), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
2. सहायक कुलसचिव (परीक्षा), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. प्रो0 प्रशान्त कुमार, निदेशक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

मद संख्या–1 विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की दिनांक 13.10.2022 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त का सम्पुष्टिकरण किया जाना। (संलग्न–1)

संकल्प– परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 13.10.2022 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त का सम्पुष्टिकरण किया गया।

मद संख्या–2 चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षायें एवं परीक्षा परिणाम सम्बन्धित व्यवस्था समयबद्ध, सुचारू, सुगम एवं अधिक पारदर्शी बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश तय करने तथा वर्तमान नियमों में कोई संशोधन यदि वांछित हो, के विषय में संस्तुति प्रदान करने हेतु पत्र संख्या प0नि0/718 दिनांक 02.11.2022 के अनुरूप गठित समिति की प्रथम बैठक दिनांक 03.11.2022 एवं द्वितीय बैठक दिनांक 07.11.2022 को विश्वविद्यालय समिति कक्ष में 2:00 बजे आहूत की गयी। बैठक में लिये गये निर्णयों की आख्या परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है। (संलग्नक–2)

संकल्प– चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षायें एवं परीक्षा परिणाम सम्बन्धित व्यवस्था समयबद्ध, सुचारू, सुगम एवं अधिक पारदर्शी बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश तय करने तथा वर्तमान नियमों में कोई संशोधन यदि वांछित हो, के विषय में संस्तुति प्रदान करने हेतु पत्र संख्या प0नि0/718 दिनांक 02.11.2022 के अनुरूप गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को परीक्षा समिति द्वारा निम्न रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी :–

प्रवेश सम्बन्धी :

1. सदस्यों द्वारा विचार किया गया कि प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में विलम्ब होने से पूरा सत्र एवं पठन–पाठन प्रभावित होता है, जिसके फलस्वरूप परीक्षाओं का संचालन स्वतः ही विलम्ब से होता है। प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो इसलिये समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिये गये। :

i. प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय दो मैरिट के उपरान्त नवीन प्रविष्ट विद्यार्थियों की कक्षायें प्रारम्भ कर दी जाय। तृतीय एवं उसके पश्चात जारी मेरिट के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों की अतिरिक्त कक्षायें चलाकर पहले से अध्ययनरत छात्रों के साथ–साथ पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाय।

(कार्यवाहीः महाविद्यालयों द्वारा)

2. प्रायः प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की सैमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम विलम्ब से आने के कारण आगे की कक्षाओं में प्रवेश हेतु विलम्ब होता है। ऐसी स्थिति में निम्न प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये :

1. एन0ई0पी0 को छोड़कर अन्य सैमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में छात्र उत्तीर्ण हो अथवा अनुत्तीर्ण हो दोनो ही परिस्थितियों में अगली कक्षा में प्रौन्नत किये जाने का प्राविधान है। अतः द्वितीय, चतुर्थ, षष्ट, अष्टम सैमेस्टर की परीक्षा में सम्मलित हुए छात्रों के परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश देकर कक्षाय` प्रारम्भ कर दी जाय ताकि पाठ्यक्रम समयवबद्ध रूप स` पूर्ण हो जाये।

(कार्यवाही : महाविद्यालयों द्वारा)

2. वर्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के वह छात्र जो अनुत्तीर्ण हो जाते है तथा बैक पेपर परीक्षा हेतु भी अर्ह नहीं होते है, को अगली कक्षा में प्रौन्त्त नहीं किया जा सकता है। अतः पिछले वर्ष की परीक्षा में सम्मलित समस्त छात्रों को औपबन्धिक रूप से अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाय तथा ऐसे छात्र जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, द्वारा जमा किया गया शुल्क ;College processing Fee) अधिकतम रू0 300/– काटकर वापस कर दिया जाये।

(कार्यवाही : महाविद्यालयों द्वारा)

3. एन0ई0पी0 के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के वह छात्र जो एक वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करते है, को ही अगली कक्षा में प्रौन्त्त किये जाने का प्रावधान है। इस विषय में यह निर्णय लिया गया कि बिना परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किये समस्त छात्रों को अगली कक्षा में औपबन्धिक रूप से प्रवेश देकर तृतीय सैमेस्टर की कक्षायें प्रारम्भ कर दी जाय तथा ऐसे छात्र जो प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करने में असफल रहते है, उनका जमा किया गया शुल्क ;College processing Fee) अधिकतम रू0 300/– काटकर वापस कर दिया जाये।

(कार्यवाही : महाविद्यालयों द्वारा)

परीक्षा सम्बन्धी :

3. प्रायः यह देखा जाता है कि महाविद्यालयों को एन0आर0 प्राप्त होने के पश्चात नये परीक्षार्थी जुडते रहते है, जिससे परीक्षा केन्द्रों पर अवयवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः यह निर्णय लिया गया

कि परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रवेश पत्र निर्गत हों, साथ ही साथ परीक्षा केन्द्रो को एन0आर0 उपलब्ध करायी जाय तथा इसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा फार्म भरा/सत्यापित/अग्रसारित न किया जाय।

(कार्यवाही : परीक्षा विभाग द्वारा)

4. वर्तमान में प्रचलित सैमेस्टर/वार्षिक परीक्षा की समय सारिणी और छोटी हो इसके लिये यह निर्णय लिया गया कि गत वर्षो की परीक्षा समय सारिणी समिति के सदस्य प्राचार्यो को उपलब्ध करायी जाय एवं इस आशय हेतु उनके द्वारा सुझाये गये दिशा निर्देशों को अमल में लाया जाय।

(कार्यवाही : परीक्षा विभाग एवं प्राचार्य सदस्यों द्वारा)

5. विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालयों में परीक्षायें कम समयावधि संचालित होनी चाहिये ताकि अधिक से अधिक समय पठन–पाठन पर व्यतीत हो। इस आशय हेतु यह निर्णय लिया गया कि विषम सैमेस्टर (दिसम्बर 2022) तथा स्पेशल सैमेस्टर एवं बैक पेपर परीक्षायें और अधिक संख्या में परीक्षा केन्द्र बनाते हुए माह दिसम्बर 2022 के उत्तरार्द्ध (IInd Half) से एक साथ सम्पन्न करायी जाय।

(कार्यवाही : परीक्षा विभाग द्वारा)

6. चूकिं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की परीक्षायें प्रायः राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों मे ही करायी जाती है। अतः केवल राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों को ही व्यक्तिगत छात्रों का पंजीकरण केन्द्र बनाया जाय। विशेष परिस्थितियों में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को व्यक्तिगत परीक्षा का पंजीकरण केन्द्र बनाने का निर्णय समस्त संकायाध्यक्ष, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव (परीक्षा) व गोपनीय की समिति द्वारा लिया जायेगा।

(कार्यवाही : परीक्षा विभाग द्वारा)

7. परीक्षा कार्यो में संलग्न समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों को किये जा रहे भुगतान को बढ़ाये जाने के विषय में विचार किया जाय।

(कार्यवाही : वित्त विभाग द्वारा)

बाहय् केन्द्रअधीक्षक सम्बन्धी :

8. स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्रों पर लगाये जाने वाले बाहय् वरिष्ठ केन्द्रअधीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक जिन्होंने कम से कम 12 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, ही अर्ह होंगे। राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के नियमित सेवानिवृत्त शिक्षक जिनकी आयु 70 वर्ष से कम है, भी उक्त दायित्व हेतु अर्ह होंगे।

(कार्यवाही : परीक्षा विभाग द्वारा)

9. स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्रों पर लगाये जाने वाले बाहय् वरिष्ठ केन्द्रअधीक्षक को एक ही परीक्षा केन्द्र पर बार–बार न लगाया जाय। अपितु हर परीक्षा में परीक्षा केन्द्र पर अलग–अलग बाहय् केन्द्रअधीक्षक की नियुक्ति अदल बदल कर की जाये।

(कार्यवाही : परीक्षा विभाग द्वारा)

बाहय् उड़ाका दल सम्बन्धी :

10. बाहय् उड़ाका दल का सदस्य बनने हेतु भी राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, अर्ह होंगे।

(कार्यवाही : परीक्षा विभाग एवं उड़ाका दल समन्वयक द्वारा)

11. बाहय् उड़ाका दल को संलग्न प्रारूप–1 के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्र निरीक्षण के पश्चात प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा जिसे यथासमय परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करना होगा। तभी उनके पारिश्रमिक का भुगतान किया जाये।

(कार्यवाही : समन्वयक उड़ाका दल द्वारा)

नोड़ल केन्द्र सम्बन्धी :

12. नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी/नोडल केन्द्र के कर्मचारियों को दिये जा रहे पारिश्रमिक में वृद्धि करने के विषय में विचार किया जाय।

(कार्यवाही : वित्त विभाग द्वारा)

13. नोडल केन्द्रों का यह दायित्व होता है कि वह सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों पर समय से प्रश्नपत्र पहुचायें एवं लिखित उत्तरपुस्तिकायें केन्द्रों से प्राप्त कर सुरक्षित करें। इस कार्य हेतु प्रायः छोटी गाडी अपर्याप्त होती है। अतः यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्गत आदेश में नोडल केन्द्रों को अधिकृत की गयी 'गाडी' को आवश्यकतानुसार छोटी अथवा बड़ी गाडी पढा जाय।

(कार्यवाही : नोड़ल केन्द्र एवं वित्त विभाग द्वारा)

14. नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने नोडल केन्द्र से सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर परीक्षा प्रणाली की शुचिता सुनिश्चित करें तथा कुछ भी नियमविरूद्ध पाये जाने पर तत्काल विश्वविद्यालय को पहले फोन द्वारा फिर लिखित में सूचित करें।

(कार्यवाही : नोड़ल केन्द्र द्वारा)

15. नोडल केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को भेजे जा रहे प्रश्न पत्रों के लिफाफे परीक्षा पालीवार होने चाहिये न कि परीक्षा दिवसवार ताकि गलत पाली में प्रश्न पत्र न खुल सके।

(कार्यवाही : सीक्रेसी विभाग द्वारा)

प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी :

16. यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी प्रयोगात्मक/आन्तरिक/मौखिकी परीक्षायें सैद्धान्तिक परीक्षायें शुरू होने से पूर्व सम्पन्न करा ली जाये। अन्तिम वर्ष/सैमेस्टर में यह व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाये ताकि परीक्षा परिणाम समय से घोषित किये जा सके।

किसी भी परिस्थिति में किसी पाठ्यक्रम की अन्तिम सैद्धान्तिक परीक्षा सम्पन्न होने के 15 दिवस के पश्चात किसी भी प्रयोगात्मक/आन्तरिक/मौखिकी के अंक प्रेषित करने की अनुमति नहीं होगी।

(कार्यवाही : महाविद्यालय एवं प्रयोगात्मक विभाग द्वारा)

17. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त तीनों परीक्षक यदि प्रयोगात्मक परीक्षा कराने से लिखित में मना करते है, तो राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यो को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक

से योग्यता/अर्हता पूर्ण करने वाले किसी भी परीक्षक से प्रयोगात्मक परीक्षायें सम्पन्न करा लें। स्ववित्त पोषित महाविद्यालय विश्वविद्यालय से नया परीक्षक नियुक्त करा लें।

(कार्यवाही : महाविद्यालय एवं प्रयोगात्मक विभाग द्वारा)

18. परीक्षक नियुक्त करते समय यह ध्यान रखा जाय कि परास्नातक शिक्षक ही परास्नातक पाठ्यक्रमों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं हेतु नियुक्त किये जाय।

(कार्यवाही : प्रयोगात्मक विभाग द्वारा)

19. प्रायः यह देखा गया है कि बाहय् शिक्षक प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराने से मना करते है जिसके कारण परीक्षा परिणाम निर्गत करने में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न होता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि मात्र अन्तिम वर्ष/सैमेस्टर के ठीक पहले वाले वर्ष/सैमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं हेतु ही बाहय् विश्वविद्यालय के शिक्षकों को परीक्षक नियुक्त किया जाय। शेष सभी सैमेस्टर/वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार अर्ह शिक्षकों से ही सम्पन्न करायी जाय।

(कार्यवाही : प्रयोगात्मक विभाग द्वारा)

20. प्रयोगात्मक परीक्षाओं के परीक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित विषय की बी0ओ0एस0 द्वारा संस्तुत शिक्षकों की सूची से ही की जाय। ऐसे विषय जिनकी प्रयोगात्मक परीक्षकों की बी0ओ0एस0 द्वारा अनुमत सूची गोपनीय विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं, वह एक सप्ताह के भीतर निम्नलिखित प्रारूप में अपनी बी0ओ0एस0 कराकर 03 वर्ष हेतु मान्य परीक्षको की सूची गोपनीय विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : बी0ओ0एस0 समन्वयक एवं प्रयोगात्मक विभाग द्वारा)

<u>प्रारूप</u>

संकाय का नाम–

विषय का नाम–

क्र0 स0	परीक्षक का नाम	पदनाम	महाविद्यालय का नाम	विषय–विशेषज्ञता	स्नातक/परास्नातक	मोबाईल नम्बर	ई–मेल आई0डी0	कार्य करने का अनुभव (वर्ष व माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मूल्यांकन सम्बन्धी :

21. प्रत्येक 02 लाख उत्तरपुस्तिकाओं पर एक मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाय तथा एक समय में अधिकतम 10 मूल्यांकन केन्द्र ही बनाये जाय। 30 दिनों के अन्दर एक मूल्यांकन केन्द्र को उसको आवंटित समस्त उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा लेना होगा।

विशेष परिस्थितियों में माननीय कुलपति जी अतिरिक्त समय प्रदान कर सकते है।

(कार्यवाही : मूल्यांकन समन्वयक एवं उत्तर पुस्तिका विभाग द्वारा)

22. मूल्यांकन समन्वयक बनने हेतु राजकीय/अनुदानित/विश्वविद्यालय परिसर के ऐसे शिक्षक जिन्होंने कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हैं, अर्ह होंगे।

(कार्यवाही : मूल्यांकन समन्वयक एवं उत्तर पुस्तिका विभाग द्वारा)

23. उप मूल्यांकन समन्वयक बनने हेतु राजकीय/अनुदानित/विश्वविद्यालय परिसर के ऐसे शिक्षक जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हैं, ही अर्ह होंगे।

(कार्यवाही : मूल्यांकन समन्वयक एवं उत्तर पुस्तिका विभाग द्वारा)

24. सहायक मूल्यांकन समन्वयक बनने हेतु राजकीय/अनुदानित/विश्वविद्यालय परिसर/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के ऐसे शिक्षक जिन्होंने कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हैं, ही अर्ह होंगे।

(कार्यवाही : मूल्यांकन समन्वयक एवं उत्तर पुस्तिका विभाग द्वारा)

25. समस्त मूल्यांकन समन्वयक/उपसमन्वयक/सहायक समन्वयक अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से ड्यूटी लीव लेकर ही उपर्युक्त कार्य करेंगे।

(कार्यवाही : उत्तर पुस्तिका विभाग द्वारा)

26. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु कम से कम 03 वर्ष की नियमित/अनुमोदित सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक ही अर्ह होंगे। हालाकिं मूल्यांकन हेतु शिक्षकों की अनुपलब्धता होने पर मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरांत एक वर्ष से अधिक की सेवा वाले शिक्षक भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे।

(कार्यवाही : मूल्यांकन समन्वयक एवं उत्तर पुस्तिका विभाग द्वारा)

27. राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षक जिन्हें उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु नियुक्त किया जायेगा, मूल्यांकन कार्य से किसी भी दशा में अनुपस्थित नहीं होंगे।

28. मान्यता विभाग द्वारा स्ववित्तपोषित शिक्षकों की वरिष्ठतावार एवं विषयवार सूची मूल्यांकन समन्वयक को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें से परीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

29. ऐसे स्ववित्तपोषित महाविद्यालय जिन्होंने अपने शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड नहीं की है, को 15 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय पोर्टल पर शिक्षकों की सूची अपलोड करना अनिवार्य होगा।

30. मूल्यांकन व्यवस्था और सुदृढ एवं पारदर्शी हो इसके लिये प्रत्येक परीक्षक को अपने द्वारा प्रथम/द्वितीय पाली में जॉची गयी उत्तरपुस्तिकाओं में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का विवरण मूल्यांकन समन्वयक के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिस पर विषय/विषय कोड़, परीक्षक का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर अवश्य अंकित हो। यदि एक पाली में एक परीक्षक द्वारा मूल्यांकिंत उत्तरपुस्तिकाओं में 60 प्रतिशत से अधिक छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, तो मूल्यांकन समन्वयक अपने विवेकानुसार किसी अन्य परीक्षक से इस प्रकार की उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच रैंडम सैम्पलिगं के माध्यम से करायेंगे। ऐसे परीक्षक/समन्वयक जो उक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करेंगे, के बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

समन्वयक द्वारा इस आशय का बिल के साथ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त निर्धारित रीति का अनुपालन करते हुए उनके द्वारा मूल्यांकित करायी गयी उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच/रैण्डम सैम्पलिंग करा ली गयी है।

31. यू0एफ0एम0 के प्रकरणों पर विचार करते समय यू0एफ0एम0 समन्वयक द्वारा उड़ाका दल समन्वयक से विचार विमर्श किया जायेगा।

32. ऐसे स्ववित्तपोषित परीक्षा केन्द्र जहॉ बाह्य केन्द्र अधीक्षक नियुक्त होता है, के प्राचार्य अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। अनुमोदित प्राचार्य न होने की स्थिति में कार्यवाहक प्राचार्य/वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक की भूमिका का निर्वहन् किया जायेगा।

(कार्यवाहीः महाविद्यालयों द्वारा)

33. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से लिया जाने वाले विकास शुल्क की बढौत्तरी गत कई वर्षो से नहीं की गयी है, अतः इसे बढाकर रू0 400/– प्रति छात्र किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग द्वारा)

34. परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि व्यक्तिगत छात्रों से लिये जाने वाले विकास शुल्क को परीक्षा विकास शुल्क कहा जाय तथा जिसका उपयोग वित्त विभाग के पत्र संख्या वित्त/1810 दिनांक 19.06.2013 में उल्लिखित मदों में केवल महाविद्यालय प्राचार्य की अनुमति से हो।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग नियमानुसार विचार करें)

35. वित्त विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 314/सत्तर–7–2022 दिनांक 24 मई 2022 के आधार मानकर प्रयोगात्मक परीक्षाओं हेतु अग्रिम नहीं दिया जा रहा है। समिति द्वारा उक्त पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि इसमें कही भी प्रयोगात्मक परीक्षा का उल्लेख नहीं है। प्रयोगात्मक परीक्षायें समय से सम्पादित हो इसलिये निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. प्रयोगात्मक परीक्षाओ के परीक्षक तय होते ही राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय वास्तविक खर्च का औचित्यपूर्ण विवरण देते हुए वित्त विभाग से अग्रिम की मांग करें, जिसका 75 प्रतिशत वित्त विभाग द्वारा यथाशीघ्र भुगतान किया जाये।

(कार्यवाही : वित्त विभाग द्वारा)

2. उपर्युक्त शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन् कर रहे शिक्षकों/कर्मचारियों को किये जाने वाले व्यक्तिगत भुगतान हेतु एक ऑनलाईन पोर्टल का निर्माण हो ताकि विभिन्न व्यक्तिगत भुगतान तत्काल किये जा सके। यह व्यवस्था तत्काल अमल में लायी जानी चाहिए।

(कार्यवाही : वित्त विभाग द्वारा)

3. सत्र की परीक्षायें प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त विषयों की बोर्ड ऑफ स्टड़ीज की बैठक आयोजित हो, जिसके माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षा के परीक्षकों के नाम गोपनीय विभाग को उपलब्ध कराये जाये, ताकि परीक्षकों की नियुक्ति में विलम्ब न हो।

(कार्यवाही : समन्वयक बोर्ड ऑफ स्टडीज एवं कमेटी सेल)

36. वित्त विभाग जब भी कोई धनराशि महाविद्यालयों को प्रेषित करें तो उसका मद/विवरण महाविद्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग द्वारा)

37.स्ववित्तपोषित/मेडिकल/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क पारम्परिक पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों से अधिक होता है। अतः इन परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों को भुगतान किये जा रहे विभिन्न मदों में वृद्धि हो।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग द्वारा)

38. यदि कोई परीक्षार्थी अपरिहार्य कारणवश अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र से भिन्न परीक्षा केन्द्र की मांग करता है, तो इसे दोनो परीक्षा केन्द्रों की अनापत्ति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अनुमत किया जाये।

(कार्यवाहीः महाविद्यालयों एवं परीक्षा विभाग द्वारा)

39. सैद्धान्तिक परीक्षाओं के बिल लेखा विभाग में बहुत समय तक लम्बित रहते हैं, जिससे महाविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था प्रभावित होती है। अतः यह निर्णय लिया गया कि लेखा विभाग बिल प्राप्त होते ही एक सप्ताह के अन्दर भुगतान करें।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग द्वारा)

40. सत्र 2019–20 तक की सैद्धन्तिक/प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बिल जिनका भुगतान वित विभाग द्वारा सहायक केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक का पत्र अथवा प्रयोगात्मक परीक्षक का अनुमोदन न होने के कारण नहीं किया जा रहा है, उसके विषय में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में महाविद्यालय के प्राचार्य की अन्डरटेकिंग/प्रमाण लेकर बिलों का भुगतान/समायोजन कर दिया जाये।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग द्वारा)

41. वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न परीक्षा सम्बन्धी बिलों की हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। सुगम एवं आसान बनाने हेतु इसे ऑनलाईन/डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित किया जाये।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग द्वारा)

42. छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षा कराने वाले महाविद्यालयों को दिये जा रहे भुगतान में वृद्धि की जाये।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग द्वारा)

43. महाविद्यालय को परीक्षा परिणाम के गजट की सॉफ्ट कॉपी प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा अनिवार्य रूप से प्राचार्य की ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित की जायेगी।

(कार्यवाहीः प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा)

44. समस्त नीति निर्धारित समितियों में अनुमोदित महाविद्यालयों का भी नियमानुसार प्रतिनिधित्व हो।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्यालय द्वारा)

45. एन0ई0पी0 2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में भी आन्तरिक परीक्षा कराने का प्रावधान है, किन्तु इसके लिये महाविद्यालयों को कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती हैं। इस विषय में यह निर्णय लिया गया कि परास्नातक पाठ्यक्रमों की भॉति स्नातक स्तर की आन्तरिक परीक्षाओं हेतु प्रति परीक्षार्थी रू0 50/– (रू0 पचास) का परीक्षा शुल्क महाविद्यालयों को अनुमत किया जाये।

(कार्यवाहीः– वित्त विभाग एवं महाविद्यालयों द्वारा)